FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर निगरानी 731-I-15

श्री ...... द्वारा आज दि. 7.4.15 को प्रस्तुत
7-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्याम गिरि पुत्र पुत्र श्री जमुना गिरि ब्राह्मण, निवासी ग्राम – दौनी, तहसील लवकुशनगर, जिला – छतरपुर (म.प्र.)
.... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.) ....अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 05.03.2015 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

8) Dehat... 7/4/15

आवेदक की ओर यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है –

1. यहकि, आवेदक लगभग 40 वर्ष से ग्राम दौनी में स्थित श्रीनरसिंह भगवान के आश्रम में निवासरत् होकर भगवान की पूजा, अर्चना एवं धार्मिक कार्यो तथा अनुष्ठानों को करवाता है।

2. यहकि, ग्राम दौनी में स्थित आराजी नम्बर 414/1 जिसमें से 30x60 वर्गफीट भूमि का पट्टा आवेदक को ग्राम पंचायत दौनी द्वारा निवास हेतु दिनांक 02.07.1983 को दिया गया था। ग्राम पंचायत दौनी द्वारा दिये गये पट्टे के आधार पर आवेदक द्वारा मकान निर्मित कर निवास कर रहा है तथा इसी आराजी नम्बर में ग्राम के कई अन्य लोगों के मकान इत्यादि बने हुए है। पटवारी हल्का दौनी द्वारा आवेदक के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट श्रीमान् नायब तहसीलदार पठा के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसके पश्चात् आवेदक को एक कारण बताओं सूचनापत्र जारी किया गया, जिसका आवेदक द्वारा विधिवत रूप से जबाव प्रस्तुत किया एवं कारण बताओं सूचनापत्र अवैध होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, पठा द्वारा आवेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 05/ अ–68/2014–15 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। चूंकि इस प्रकरण में आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई भी अवसर प्रदान किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 19.12.2014 से आवेदक के विरूद्ध यह आदेश दिया गया कि आवेदक द्वारा ग्राम दौनी की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है, इसलिए 20,000/–रूपये का अर्थदण्ड तथा भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया।

4. यहकि, नायब तहसीलदार, पठा के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर, जिला छतरपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 37/2014–15 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें अपील के साथ स्थगन आवेदन पत्र धारा 52 का प्रस्तुत किया गया था एवं बताया था कि आवेदक द्वारा

(49)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 731–एक/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
29/4/15	उभयपक्ष अधिवक्ताओं के द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के न्यायालय के प्रकरण कमांक 37/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–3–2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया, जिसके विरूद्ध में आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 2– अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रचलित प्रकरण में सुविधा संतुलन आवेदक के पक्ष में नहीं होने से धारा 52 का स्थगन दिये जाने का आवेदन अग्राह्य किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को आहूत किया है । जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है अतः यह निगरानी आधारहीन होने के कारण प्रथमदृष्टया इसी स्तर पर सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	